



प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुरकर मामला क्रमांक 19, 2009अपीलकर्ता
(राजस्व)

आयकर आयुक्त, रायपुर (छ.ग.)

बनाम

प्रत्यर्थी
(निर्धारिती)हाई-टेक एब्रेसिक्स लिमिटेड, एमआईजी-
21, इंद्रावती कॉलोनी, रायपुर (छ.ग.)

विचारार्थ आदेश।



सही/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

माननीय न्यायमूर्ति श्री मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव

सही/-

मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव

न्यायाधीश

22 फरवरी, 2009 को आदेश हेतु सूचीबद्ध करें।

सही/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश



छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

कर मामला क्रमांक 19, 2009

अपीलकर्ता
(राजस्व)

आयकर आयुक्त, रायपुर (छ.ग.)

बनाम

प्रत्यर्थी

हाई-टेक एब्रेसिक्स लिमिटेड, एमआईजी-

(निर्धारिती)

21, इंद्रावती कॉलोनी, रायपुर (छ.ग.)



आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 260-ए के तहत अपील

(युगल पीठ: माननीय न्यायमूर्ति श्री सतीश के. अग्निहोत्री

और माननीय श्री मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव)

श्री राजीव श्रीवास्तव, स्थायी अधिवक्ता तथा सुश्री वी. श्रद्धा राव, अपीलकर्ता

की अधिवक्ता।

श्री शशांक दुबे, वरिष्ठ अधिवक्ता सहित श्री अजय श्रीवास्तव, प्रत्यर्थी के

अधिवक्ता।



आदेश

(22 फरवरी, 2009 को पारित)

सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायाधीश

1. यह अपील आयकर अपीलीय अधिकरण, बिलासपुर पीठ (रायपुर कैम्प) द्वारा अपील आई.टी.ए. क्रमांक 358/नाग/2008, कर निर्धारण वर्ष 2005-2006 में पारित आदेश दिनांक 28 नवम्बर, 2008 से उद्धृत हुई है।
2. दिनांक 15.5.2009 को यह अपील निम्नलिखित विधि के सारवान प्रश्न पर

सुनवाई के लिए स्वीकार की गई:

"क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर माननीय

आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा सांचों की स्थापना और तैयार

उत्पादों की बिक्री के संबंध में साक्ष्य पर भरोसा करना और उन पर

विश्वास करना उचित था, जिसे पहली बार आयकर आयुक्त (क) के

समक्ष प्रस्तुत किया गया था और जिसे आयकर नियमों के नियम

46 क का अनुपालन किए बिना और मूल्यांकन अधिकारी को उसका

खंडन करने या उसकी जांच करने का कोई अवसर दिए बिना उसके

द्वारा स्वीकार किया गया था?"





3. संक्षेप में, सुसंगत तथ्य यह है कि प्रत्यर्थी कंपनी स्टील सिल्लियां, सीआई शॉट्स और ग्रिट्स, स्टील शॉट्स और ग्रिट्स, सीआई सिल्लियां, मोल्ड्स और कास्टिंग आदि के निर्माण और बिक्री में लगी हुई है। मूल्यांकन वर्ष 2005-2006 के लिए प्रत्यर्थी ने अपना रिटर्न प्रस्तुत किया। कर निर्धारण अधिकारी ने पाया कि प्रत्यर्थी ने 2,99,90,272/- रुपये मूल्य के कास्टिंग मोल्ड बॉक्स पर मूल्यह्रास का दावा किया है, जिसमें पूरी राशि को प्लांट और मशीनरी के रूप में पूंजीकृत किया गया है। मूल्यह्रास का दावा इस आधार पर किया गया था कि मोल्ड बॉक्स 180 दिनों से कम समय तक उपयोग में रहे थे।

4. कर निर्धारण अधिकारी ने पाया कि प्रत्यर्थी/कंपनी ने रायपुर में मोल्ड बॉक्सों के आगमन के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिनके बारे में दावा किया गया था कि उन्हें लेखा वर्ष की समाप्ति से पहले खरीदा गया था। परिवहन और स्थापना बिलों के अलावा, कर निर्धारण कार्यवाही के दौरान प्रत्यर्थी/कंपनी द्वारा कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। गहन जाँच के बाद, कर निर्धारण अधिकारी ने आयकर अधिनियम, 1961 (संक्षेप में अधिनियम, 1961) की धारा 143(3) के अंतर्गत पारित आदेश दिनांक 12.12.2007 (अनुलग्नक ए/1) द्वारा मोल्ड बॉक्सों पर ₹37,48,748/- का मूल्यह्रास देने से इनकार कर दिया।





5. दिनांक 12.12.2007 के कर निर्धारण आदेश से व्यथित होकर, प्रत्यर्थी/कंपनी ने आयकर आयुक्त (अपील), रायपुर (जिसे आगे "सी.आई.टी. (अ)" कहा जाएगा) के समक्ष अपील क्रमांक 0516/07-08 के रूप में इस आधार पर अपील दायर की कि कर निर्धारण अधिकारी ने बिना कोई कारण बताए तदर्थ वृद्धि/अस्वीकृति देने में त्रुटि की है। कर निर्धारण अधिकारी ने तदर्थ वृद्धि की, जो अविवेकपूर्ण और अनुचित है और मूल्यह्रास की अस्वीकृति पर वृद्धि इस आधार पर की गई थी कि परिवहन बिल प्रस्तुत नहीं किया गया था और मशीन मार्च से पहले नहीं पहुँची थी, जो अविवेकपूर्ण और अनुचित है।

6. प्रत्यर्थी/कंपनी द्वारा दायर अपील को आयकर आयुक्त (अ) ने दिनांक 11.3.2008 के आदेश (अनुलग्नक ए/2) द्वारा स्वीकार कर लिया, जिसमें कहा गया कि प्रत्यर्थी/कंपनी के पास परिवहन के बिल (चालान या सामान टिकट) थे, जिन्हें सत्यापन के लिए प्रस्तुत किया गया था। उन बिलों से पता चलता है कि मशीनें व्यावसायिक परिसर में पहुँच गई थीं और मोल्ड बॉक्स 'उपयोग के लिए तैयार' स्थिति में थे और प्रत्यर्थी/कंपनी के पास उन्हें स्थापित करने और उपयोग करने के लिए पर्याप्त समय था।





7. दिनांक 11.3.2008 के आदेश से व्यथित होकर अपीलकर्ता/विभाग ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (संक्षेप में 'न्यायाधिकरण') के समक्ष दिनांक 28.11.2008 के आदेश (अनुलग्नक ए/3) के कंडिका-2 में उल्लिखित आधारों पर, आई.टी.ए. क्रमांक 358/नाग/2008: निर्धारण वर्ष 2005-06 के रूप में एक अपील दायर की, जो इस प्रकार है:

" 1. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, विद्वान सी.आई.टी. (अ) ने कम लाभ मार्जिन के लिए 2,00,000/- रुपये की वृद्धि को हटाने में गलती की। विद्वान सी.आई.टी. (अ) का आदेश विधि के साथ-साथ तथ्यों के आधार पर भी गलत है।

2. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, विद्वान सी.आई.टी. (अ) ने 37,48,784/- रुपये पर कास्टिंग मोल्ड्स बॉक्स पर मूल्यह्रास से की गई अस्वीकृति को हटाने में गलती की।

3. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, सी.आई.टी. (अ) ने कार पर मूल्यह्रास के कारण 46,780 रुपये और विविध व्यय (अर्थात् वाहन व्यय, मोबाइल व्यय, टेलीफोन व्यय और वाहन चलाने का व्यय) के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा की गई 1,79,000 रुपये की वृद्धि को हटाने में गलती की।





4. विद्वान सी.आई.टी. (अ) का आदेश विधि के साथ-साथ तथ्यों के आधार पर भी गलत है।"

8. अपीलकर्ता/विभाग द्वारा दायर उपरोक्त अपील को दिनांक 28 नवंबर, 2008 के आदेश (अनुलग्नक ए/3) द्वारा खारिज कर दिया गया तथा दिनांक 11.3.2008 के आदेश की पुष्टि की गई।

9. न्यायाधिकरण द्वारा पारित दिनांक 28.11.2008 के आक्षेपित आदेश से व्यथित होकर, अपीलकर्ता/विभाग ने अधिनियम, 1961 की धारा 260-ए के

तहत यह अपील इस आधार पर दायर की है कि सी.आई.टी. (अ) ने

आयकर नियम, 1962 (संक्षेप में 'नियम, 1962') के नियम 46 ए का

उल्लंघन करते हुए, लिखित में ऐसे उल्लंघन के कारणों को दर्ज किए

बिना परिवहन बिलों के रूप में अतिरिक्त साक्ष्य स्वीकार कर लिया और

प्रत्यर्थी/कंपनी को अनुतोष प्रदान की। न्यायाधिकरण ने सी.आई.टी. (अ)

द्वारा पारित आदेश की पुष्टि करते हुए कहा कि यह तथ्यों और दस्तावेजी

साक्ष्य पर आधारित था, जबकि मूल्यांकन कार्यवाही के दौरान

प्रत्यर्थी/कंपनी ने रायपुर में मोल्ड बक्सों के आगमन के अपने दावे के

समर्थन में कोई सबूत प्रस्तुत करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की थी।

मूल्यांकन अधिकारी द्वारा पारित आदेश, मूल्यहास को अस्वीकार करना,

तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर उचित और वैध था। न्यायाधिकरण





अभिलेख में उपलब्ध इस स्वीकृत तथ्य को समझने में विफल रहा है कि मोल्ड बॉक्स प्रत्यर्थी/कंपनी, रायपुर तक नहीं पहुँचे। न्यायाधिकरण ने आयकर आयुक्त (अ) द्वारा पारित आदेश की पुष्टि करने में त्रुटि की है क्योंकि आयकर आयुक्त (अ) ने नियम 1962 के नियम 46-क के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए अतिरिक्त साक्ष्य को स्वीकार कर लिया था, बिना लिखित में कारण बताए और कर निर्धारण अधिकारी को कोई अवसर दिए बिना।

10. अपीलकर्ता/विभाग की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता, आयकर आयुक्त (कर) द्वारा पारित दिनांक 11.3.2008 के आदेश और न्यायाधिकरण द्वारा उपरोक्त आधारों पर पारित दिनांक 28.11.2008 के आदेश को चुनौती दिया है। अपने तर्क के समर्थन में, अधिवक्ता **आयुक्त बनाम ऑस्कर लैबोरेटरीज (पी) लिमिटेड¹** मामले में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के (आयकर अपील क्रमांक 171/2002 में दिनांक 26 फ़रवरी, 2009 के) निर्णय; **आयकर आयुक्त बनाम यूनाइटेड टावर्स आई.पी. लिमिटेड²** मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के (आयकर अपील क्रमांक 1000/2006 में दिनांक 23 अप्रैल, 2007 के) निर्णय का अवलंब लिया है। और इसके अलावा इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा (दिनांक 20 जनवरी, 2005, आई.टी. संदर्भ

¹ (2009) 179 TAXMAN 176

² (2008) 172 TAXMAN 267



क्रमांक 96/1987) हाजी लाल मोहम्मद बीरी वर्क्स बनाम आयकर आयुक्त³

मामले में दिया गया निर्णय का अवलंब लिया है।

11. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी/कंपनी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने सी.आई.टी. (अ) द्वारा पारित आदेश और अधिकरण द्वारा पारित आदेश का समर्थन किया है।

12. हमने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है तथा उनके द्वारा प्रस्तुत तर्कों और दस्तावेजों का अवलोकन किया।

13. अपीलकर्ता/विभाग की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के तर्क का मुख्य आधार आयकर नियम, 1962 के नियम 46 क के वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन न करना है, जो इस प्रकार है:

“46 क. (1) आवेदक, निम्नलिखित परिस्थितियों के सिवाए

यथास्थिति [संयुक्त आयुक्त] (अपील) या आयुक्त (अपील) के समक्ष कोई

भी ऐसा मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का हकदार नहीं

होगा जो उसने निर्धारण अधिकारी के समक्ष कार्यवाहियों के दौरान

प्रस्तुत न किया हो, अर्थात्:--

³ (2005) 145 TAXMAN 578 (All)



(क) जहां निर्धारण अधिकारी ने ऐसे साक्ष्य को ग्रहण करने से इनकार कर दिया हो जो ग्रहण किया जाना चाहिए था; या

(ख) जहां आवेदक को ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त कारणों से निवारित किया गया था जिसे प्रस्तुत करने के लिए निर्धारण अधिकारी ने उससे कहा था; या

(ग) जहां आवेदक को ऐसा साक्ष्य निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त कारणों से निवारित किया गया था जो अपील के किसी आधार के लिए सुसंगत हैं; या

(घ) जहां अपीलार्थी को अपील के किसी आधार से सुसंगत साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिए बिना निर्धारण अधिकारी ने ऐसा आदेश पारित किया है जिसके विरुद्ध अपील की गई है।

(2) उपनियम (1) के अधीन कोई साक्ष्य तब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा जब तक कि यथास्थिति [संयुक्त आयुक्त] (अपील) या आयुक्त (अपील) उसके ग्रहण किए जाने के लिए कारण लेखबद्ध न करे।





(3) यथास्थिति, [संयुक्त आयुक्त] (अपील) या आयुक्त (अपील) उपनियम (1) के अधीन प्रस्तुत किसी साक्ष्य पर तब तक विचार नहीं करेगा जब तक कि निर्धारण अधिकारी को निम्नलिखित की बाबत पर्याप्त अवसर प्रदान न किया जाए---

(क) अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य या दस्तावेज का परीक्षण अथवा साक्षी का प्रतिपरीक्षण; या

(ख) अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए अतिरिक्त साक्ष्य के खंडन में कोई साक्ष्य, या दस्तावेज या साक्षी का प्रस्तुत किया जाना।

(4) इस नियम की कोई बात यथास्थिति, [संयुक्त आयुक्त] (अपील) या आयुक्त (अपील) को अपील का निराकरण करने में समर्थ बनाने के लिए किसी दस्तावेज को पेश करने या किसी साक्षी की परीक्षा करने के निदेश देने की या किन्हीं अन्य सारवान कारणों के लिए उसकी शक्तियों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनके अंतर्गत धारा 251 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन निर्धारण या शास्ति में वृद्धि (स्वप्रेरणा से या निर्धारण अधिकारी के अनुरोध पर) या धारा 271 के अधीन शास्ति अधिरोपित करना भी है।

14. दिनांक 12.12.2007 के कर निर्धारण आदेश (अनुलग्नक ए/1) से स्पष्ट है कि करदाता को स्टील की वस्तुओं, जैसे स्टील सिल्लियाँ, सी.आई. शॉट्स और





ग्रिट्स, स्टील शॉट्स और ग्रिट्स, सी.आई. सिल्लियाँ, मोल्ड और कास्टिंग आदि के निर्माण और बिक्री से आय प्राप्त होती रही। करदाता ने कच्चे माल और तैयार माल का पूरा मात्रात्मक विवरण रखा था। आदेश का कंडिका-3 इस प्रकार है:

“3. वर्ष के दौरान करदाता ने अपनी इकाई का व्यापक विस्तार किया है। इसने श्री महावीर डाइंग एंड प्रिंटिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई से 2,99,90,272/- रुपये मूल्य के कास्टिंग मोल्ड बॉक्स तैयार किए हैं और पूरी

राशि को संयंत्र और मशीनरी में पूंजीकृत किया गया है और यह भी दावा

किया है कि इनका उपयोग 180 दिनों से कम समय के लिए किया गया है।

बिलों के सत्यापन से पता चला कि पूरी खरीद वित्तीय वर्ष के अंत में की गई है। इसलिए, करदाता को दिनांक 06-12-2007 की आदेश पत्रक प्रविष्टि के

अनुसार परिवहन बिल प्रस्तुत करना आवश्यक था। दिनांक 11-12-2007 को

सुनवाई की अगली तारीख पर, श्री सुनील जौहरी, सी.ए. और श्री राजीव शुक्ला,

एफ.सी.ए. उपस्थित हुए और उन्होंने स्वीकार किया कि परिवहन बिल

उपलब्ध नहीं हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उनके पास कहने को कुछ नहीं है,

सिवाय इसके कि परिवहन बिल और स्थापना बिल प्रस्तुत नहीं किए जा

सकते। उपरोक्त दस्तावेजों के अभाव में यह सत्यापित करना संभव नहीं है

कि मोल्ड बॉक्स रायपुर पहुँचे थे या नहीं और क्या वित्तीय वर्ष के दौरान ही





उनका उपयोग किया गया था। यह अभिलेख में दर्ज करना उचित है कि यद्यपि क्रय बिलों में क्रय को एफ.ओ.आर. के रूप में दर्शाया गया है, फिर भी परिवहन बिल की एक प्रति करदाता के पास होना आवश्यक है। दूसरे शब्दों में, करदाता के इनकार का अर्थ यह है कि खरीदे गए मोल्ड बॉक्स लेखा वर्ष की समाप्ति से पहले रायपुर नहीं पहुँचे और इसलिए, करदाता द्वारा दावा किए गए वर्ष के दौरान उनका उपयोग नहीं किया जा सका। इसलिए, करदाता द्वारा 12.5% (पूर्ण दर का 50%) की दर से दावा किया गया मूल्यह्रास अस्वीकृत किया जाएगा और करदाता की कुल आय में वापस जोड़ा जाएगा। यह

अस्वीकृत राशि ₹37,48,784/- है।"

15. तदनुसार, दिनांक 12.12.2007 के आदेश द्वारा प्रत्यर्थी/कंपनी को कास्टिंग मोल्ड बॉक्स पर 37,48,784/- रुपए का मूल्यह्रास अस्वीकृत कर दिया गया।

16. आयकर आयुक्त (अपील) रायपुर ने अपने आदेश दिनांक 11.3.2008 (अनुलग्नक ए/2) में माना है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से यह पाया गया है कि अस्वीकृति बिना किसी आधार के है और किसी विशिष्ट उदाहरण को इंगित किए बिना है। ए.ओ. द्वारा की गई अस्वीकृति किसी भी सबूत से पुष्ट नहीं होती है। यह दावा टिकने योग्य नहीं है। अपीलकर्ता ने पूरा नया प्लांट और मशीनरी खरीदी थी। प्लांट की खरीद



स्थापना सहित एफ.ओ.आर. के आधार पर थी। मूल्यांकन आदेश में ए.ओ. ने उल्लेख किया था कि अपीलकर्ता ने एफ.ओ.आर. के रूप में खरीदारी की थी। यह एक तथ्य है कि जब अपीलकर्ता ने परिवहन व्यय नहीं किया था तो परिवहन बिल कैसे संभव है। हालांकि, कंपनी के पास परिवहन की बिल्टी है जो सत्यापन के लिए प्रस्तुत की गई थी, हालांकि ये खातों का हिस्सा नहीं हैं। बिल्टी से पता चलता है कि मशीनें अपीलकर्ता के व्यावसायिक परिसर में पहुंच गई अपीलकर्ता ने दिनांक 31/03/2005 से पहले नए खरीदे गए मोल्ड बॉक्स का उपयोग करके सी.आई. इंगोट मोल्ड का उत्पादन भी शुरू कर दिया था, जो इस संबंध में प्रस्तुत चालान से भी स्पष्ट है। तदनुसार, सी.आई.टी. (अ), रायपुर ने प्रत्यर्थी/कंपनी द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया।

17. दिनांक 28.11.2008 के आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक ए/3) द्वारा न्यायाधिकरण ने अपीलकर्ता/विभाग द्वारा दायर अपील को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अपीलकर्ता सी.आई.टी. (अ) के निष्कर्षों का खंडन नहीं कर सकता और सी.आई.टी. (अ) की टिप्पणियां तथ्यों पर आधारित हैं और करदाता द्वारा दायर दस्तावेजी साक्ष्य और ढाकेश्वरी कॉटन मिल्स



प्राइवेट लिमिटेड बनाम सी.आई.टी.⁴ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा समर्थित हैं।

18. हमारे समक्ष विचारण हेतु विधि का सारवान प्रश्न सांचों की स्थापना और तैयार उत्पादों की बिक्री के संबंध में साक्ष्य पर निर्भरता के संबंध में है।
19. मूल्यांकन आदेश से यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी/कंपनी ने श्री महावीर डाइंग एंड प्रिंटिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई से 2,99,90,272/- रुपये मूल्य के कास्टिंग मोल्ड बॉक्स खरीदे थे और पूरी राशि प्लान्ट और मशीनरी में पूंजीकृत थी। चूँकि ये वस्तुएँ मुंबई स्थित एक कंपनी से रायपुर स्थित प्रत्यर्थी/कंपनी को खरीदी गई थीं, इसलिए करदाता को परिवहन बिल प्रस्तुत करना आवश्यक था। हालाँकि, प्रत्यर्थी/कंपनी ने स्वीकार किया कि परिवहन बिल उपलब्ध नहीं थे। इस प्रकार, कास्टिंग मोल्ड बॉक्स पर मूल्यह्रास की माँग करने के लिए कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।
20. उपर्युक्त चर्चा को दृष्टिगत रखते हुए, आयकर आयुक्त (अ) का यह निष्कर्ष कि अस्वीकृति बिना किसी आधार के है और किसी विशिष्ट उदाहरण का उल्लेख किए बिना है और अस्वीकृति की किसी भी साक्ष्य से पुष्टि नहीं होती है, अभिलेख के विपरीत प्रतीत होता है। आयकर आयुक्त (अ) ने

⁴ 26 ITR 775 (SC)



ढाकेशवरी काँटन मिल्स (पूर्व) में निर्धारित सिद्धांत को इस आशय से लागू किया है कि "आयकर अधिकारी को बिना किसी साक्ष्य या सामग्री के संदर्भ के शुद्ध अनुमान लगाने और आकलन करने का अधिकार नहीं है। आकलन के समर्थन में केवल संदेह से अधिक कुछ होना चाहिए।" हमारी सुविचारित राय में, जब आकलन अधिकारी के समक्ष कोई दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किया गया, तो ढाकेशवरी काँटन मिल्स (पूर्व) में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का आधार मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर लागू नहीं होता।

21. जब मुंबई से रायपुर के लिए सामान खरीदा गया था, तो सी.आई.टी. (अ) का निष्कर्ष कि प्लांट की खरीद स्थापना सहित एफ.ओ.आर. आधार पर थी, जब अपीलकर्ता ने परिवहन व्यय नहीं किया था, तो परिवहन बिल कैसे संभव है; यह भी टिकने योग्य नहीं है।

22. सी.आई.टी. (अ) का यह अतिरिक्त तर्क कि कंपनी के पास परिवहन के बिल हैं, जिन्हें सत्यापन के लिए प्रस्तुत किया गया था, यद्यपि ये खातों का भाग नहीं हैं; यह दर्शाता है कि प्रत्यर्थी/कंपनी ने सी.आई.टी. (अ) के समक्ष मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए थे और सी.आई.टी. (अ) ने उन पर भरोसा किया था, जो नियम, 1962 की धारा 46क के प्रावधानों का उल्लंघन है। क्योंकि, पूछने पर भी, प्रत्यर्थी/कंपनी द्वारा कर निर्धारण



अधिकारी के समक्ष कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था और यह ऐसा मामला नहीं है, जहां कर निर्धारण अधिकारी ने साक्ष्य को स्वीकार करने से इनकार कर दिया हो, जिसे स्वीकार किया जाना चाहिए था या प्रत्यर्थी/कंपनी को साक्ष्य प्रस्तुत करने से रोका गया हो, जिसे प्रस्तुत करने के लिए उसे कहा गया था या प्रत्यर्थी/कंपनी को कोई ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत करने से रोका गया हो, जो कर निर्धारण के किसी आधार सुसंगत हो या कर निर्धारण अधिकारी ने प्रत्यर्थी/कंपनी को किसी भी आधार से सुसंगत साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिए बिना ही अपील आदेश पारित कर दिया हो।

23. कर निर्धारण आदेश में इस तथ्य पर विचार किए बिना त्रुटिपूर्ण निर्णय दिया गया है कि करदाता द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष नए साक्ष्य और तर्कों अर्थात् बिल प्रस्तुत नहीं किए गए थे। ये साक्ष्य आयकर आयुक्त (अ) के समक्ष पहली बार प्रस्तुत किए गए थे। नियम, 1962 के नियम 46 क के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष कार्यवाही के दौरान प्रस्तुत साक्ष्य के अलावा कोई भी अतिरिक्त साक्ष्य स्वीकार नहीं किया जा सकता है, सिवाय कुछ परिस्थितियों के, जैसा कि नियम 46 (1) (क) से (घ) में लिखित रूप में कारण दर्ज करने के बाद निहित है।



24. पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय और इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने-अपने निर्णयों (पूर्व) में कहा कि नए साक्ष्य स्वीकार करने से पहले, लिखित में कारण दर्ज करना और सी.आई.टी. (अ) या जैसी भी स्थिति हो, दूसरे पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करना नियम, 1962 के नियम 46 क के प्रावधानों की अनिवार्य और वैधानिक आवश्यकता है।

25. प्रस्तुत मामले में, आयकर आयुक्त (अ) ने अतिरिक्त साक्ष्य स्वीकार करने से पहले लिखित में कारण दर्ज नहीं किए हैं, जैसा कि नियम 1962 के नियम 46 क के उप-नियम (2) में प्रावधान किया गया है। इस प्रकार, हमारे समक्ष प्रस्तुत विधि के सारवान प्रश्न का उत्तर नकारात्मक है।

26. परिणामस्वरूप, अपील स्वीकार की जाती है। आयकर आयुक्त (अ) द्वारा पारित दिनांक 11.3.2008 (अनुलग्नक ए/2) और न्यायाधिकरण द्वारा पारित दिनांक 28.11.2008 (अनुलग्नक ए/3) के आदेश को अभिखंडित किया जाता है। अधिनियम, 1962 के नियम 46 क के प्रावधानों के अनुसार, लिखित में कारण दर्ज करने और दूसरे पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद, अतिरिक्त साक्ष्य स्वीकार करने हेतु मामला आयकर आयुक्त (अ) को वापस भेजा जाता है।





27. मामला सी.आई.टी. (अ), रायपुर को वापस भेजा जा रहा है, क्योंकि सी.आई.टी. (अ) के समक्ष अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत किए गए थे, जिन्हें लिखित में कारण दर्ज किए बिना और दूसरे पक्ष (अपीलकर्ता/विभाग) को सुनवाई का अवसर दिए बिना अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। बाद में न्यायाधिकरण द्वारा भी इसकी पुष्टि की गई।
28. व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जा रहा है ।



सही/-
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधीश

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

